राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 23 /2022 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी – आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड, शाखा कार्यालय 201–202, द्वितीय तल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर	**बनाम**	1. मैश्री भैरूलाल पुत्र नारायण लाल गाड़री निवासी 114, गाड़रियों का मोहल्ला, पीपली हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा
–– प्रार्थी		––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी– श्री देवेन्द्र सिंह दुलावत

निर्णय

दिनांक : 21.06.2022

प्राधिकृत अधिकारी, आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड, शाखा कार्यालय 201–202, द्वितीय तल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी जिसमें अप्रार्थी को 3,40,000/– रूपये का ऋण दिनांक 15.07.2017 को एवं 1,10,000/– रूपये का ऋण दिनांक 31.08.2017 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पति – श्री भैरू पुत्र नारायण गाड़री का एक आवासीय मकान नपती 1214 वर्गफीट का जो पट्टा नंबर 20, गाड़री मोहल्ला, ग्राम पीपली, ग्राम पंचायत पीपली, पंचायत समिति सुवाणा, जिला भीलवाड़ा में अवस्थित है, के आवासी मकान का पट्टा विलेख दिनांकित 22.10.2007 एवं पंजीकृत पट्टा विलेख जो कि उप पंजीयक कार्यालय हमीरगढ़ में दिनांक 15.08.2008 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 24 पृष्ठ संख्या 39 क्रम संख्या 375 पर पंजीबद्ध है (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार) रहन रखी गयी। दिनांक 04.10.2021 तक कुल बकाया ऋण की राशि 4,86,159.82/– रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 30.09.2021 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।